



Neutral Citation No. - 2026:AHC:44305

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 892 वर्ष 2026

श्रीमती अनीता देवी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 4 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	: अशोक कुमार उपाध्याय, मनीष कुमार
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	: आजाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सत्येन्द्र भूषण दुबे, राज्य-प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा ग्राम सभा के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री आजाद राय को सुना गया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका निम्नलिखित राहत हेतु दाखिल की गई है :
“(i) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश निर्गत किया जाए, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देशित किया जाए कि वे पुनरीक्षण संख्या 144 वर्ष 2024 (श्रीमती अनीता देवी बनाम भूमि प्रबंधन समिति मलाक भारत एवं अन्य), जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के समक्ष लंबित है, का निर्णय करें।”
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उपर्युक्त पुनरीक्षण, जो कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 128 के अंतर्गत कार्यवाही से उद्भूत है, प्रत्यर्थी संख्या 2/बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/प्रयागराज के समक्ष लंबित है। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि लंबित कार्यवाही की आदेश-पत्रिका की सत्यापित प्रति, जो रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न है, अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि वाद का निस्तारण यथोचित तीव्रता से नहीं किया जा रहा है।
4. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा विवाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, प्रस्तुत रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उत्तर प्रदेश, अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इलाहाबाद/प्रयागराज, उपर्युक्त **पुनरीक्षण संख्या 144 वर्ष 2024** का विधि के अनुसार, दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, इस आदेश की सत्यापित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से यथाशीघ्र, अधिमानतः **चार माह** की अवधि के भीतर निस्तारण करें।

दिनांक : 26 फरवरी, 2026

पी.एस.

(न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।